



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023

श्रावण 26, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1266/वि०स०/संसदीय/74(सं)-2023

लखनऊ, 7 अगस्त, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 7 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(2) इस अधिनियम के उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।

- धारा 10 का संशोधन 2—उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है) में, धारा 10 में, —
- (क) उपधारा (2) में, खंड (घ) में, शब्द “माल या” निकाल दिये जाएंगे;
- (ख) उपधारा (2क) में, खंड (ग) में, शब्द “माल या” निकाल दिये जाएंगे।
- धारा 16 का संशोधन 3—मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में, —
- (i) दूसरे परंतुक में, शब्द “उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में जो विहित की जाये, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा” के स्थान पर शब्द और अंक, “धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, उसके द्वारा भुगतान किया जायेगा” रख दिये जायेंगे;
- (ii) तीसरे परंतुक में, शब्द “उसके द्वारा” के पश्चात् शब्द “पूर्तिकार को” बढ़ा दिये जाएंगे।
- धारा 17 का संशोधन 4—मूल अधिनियम की धारा 17 में, —
- (क) उपधारा (3) में, स्पष्टीकरण में, शब्द और अंक “अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट” के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—
- “अनुसूची 3 के,—
- (i) पैरा 5 में विनिर्दिष्ट गतिविधियों या लेनदेन का मूल्य; और
- (ii) पैरा 8 के खंड (क) के संबंध में विहितगतिविधियों या लेनदेन का मूल्य।”;
- (ख) उपधारा (5) में, खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—
- “(चक) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन अपने आक्षेपों से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग या उपयोग किए जाने के लिए तात्पर्यित हैं;”।
- धारा 23 का संशोधन 5—मूल अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी और तारीख 1 जुलाई, 2017 से रखी गयी समझी जाएगी, अर्थात्:—
- “(2) धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन, जो विहित की जाएं, उन व्यक्तियों का प्रवर्ग, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है।”
- धारा 30 का संशोधन 6—मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में, —
- (क) शब्द “रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से:”, के स्थान पर शब्द “ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यक्षीन, जैसा कि विहित किया जाये, ऐसे अधिकारी को” रख दिये जायेंगे;
- (ख) परंतुक को निकाल दिया जाएगा।
- धारा 37 का संशोधन 7—मूल अधिनियम की धारा 37 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—
- “(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिये जावक पूर्तियों के ब्यौरे, उक्त ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:
- परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन, जो विहित की जाएं,
- किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को उपधारा (1) के अधीन उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी एक कर अवधि हेतु जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।”
- धारा 39 का संशोधन 8—मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—
- “(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने की उक्त नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।”

9—मूल अधिनियम की धारा 44 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

“(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त वित्तीय वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को एक वित्तीय वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।”

10—मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

“(15) प्रचालक को उपधारा (4) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं, एक प्रचालक या प्रचालकों के एक वर्ग को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर भी उपधारा (4) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।”

11—मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (6) में, शब्द “जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है,” निकाल दिये जायेंगे।

12—मूल अधिनियम की धारा 56 में, शब्द “उक्तधारा के अधीन आवेदन प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक”, के स्थान पर शब्द “इस तरह के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक साठ दिनों से अधिक विलंब की अवधि के लिये, ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अधीन जैसा विहित किया जाये, रख दिये जायेंगे।

13—मूल अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (2) में, —

(क) शब्द “तीस दिन” के स्थान पर शब्द “साठ दिन” रख दिये जायेंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह कि जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामीलीकरण के साठ दिनों के भीतर एक विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है वहाँ वह साठ दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क के भुगतान पर उक्त निर्धारण आदेश के तामीलीकरण के साठ दिनों की एक अग्रतर अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत कर सकता है और यदि वह ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करता है, तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा, किंतु धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का भुगतान या धारा 47 के अधीन विलंब फीस का संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा।”

14—मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:—

“109—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण होगा।

- धारा 110 तथा 114 का निकाला जाना धारा 117 का संशोधन 15—मूल अधिनियम की धारा 110 तथा धारा 114 को निकाल दिया जायेगा।
16—मूल अधिनियम की धारा 117 में,—
(क) उपधारा (1) में, शब्द “राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों” के स्थान पर, शब्द “राज्य पीठों” रख दिये जायेंगे;
(ख) उपधारा (5) में, खंड (क) और (ख) में, शब्द “राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ” के स्थान पर, शब्द “राज्य पीठ” रख दिये जाएंगे।
- धारा 118 का संशोधन 17—मूल अधिनियम की धारा 118 में, उपधारा (1) में, खंड (क) में, शब्द “राष्ट्रीय पीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय पीठों” के स्थान पर, शब्द “प्रमुख पीठ” रख दिये जायेंगे।
- धारा 119 का संशोधन 18—मूल अधिनियम की धारा 119 में,—
(क) शब्द “राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों” के स्थान पर शब्द “प्रमुख पीठ” रख दिये जाएंगे;
(ख) शब्द “राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों” के स्थान पर शब्द “राज्य पीठ” रख दिये जाएंगे।
- धारा 122 का संशोधन 19—मूल अधिनियम की धारा 122 में, उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—
“(1ख) कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो—
(i) ऐसी पूर्ति करने के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की अनुमति देता है;
(ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अन्तर्राज्यिक पूर्ति की अनुमति देता है जो ऐसी अन्तर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है; या
(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से प्रभावित माल की किसी जावकपूर्ति का, धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह दस हजार रुपये का जुर्माना, या यदि ऐसी पूर्ति धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई हो, में सम्मिलित कर की धनराशि के बराबर धनराशि, दोनों में जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए दायी होगा,।”
- धारा 132 का संशोधन 20—मूल अधिनियम की धारा 132 में, उपधारा (1) में, —
(क) खंड (छ), (ज) और (ट) निकाल दिये जायेंगे;
(ख) खंड (ठ) में, शब्द, को“ठक और अक्षर “खंड (क) से (ट)”, के स्थान पर शब्द, कोषक और अक्षर “खंड (क) से (च) और खंड (ज) और (झ) ” रख दिये जायेंगे;
(ग) खंड (iii) में, शब्द “जहां” के पश्चात्, शब्द, कोषक और अक्षर “खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अपराध में” रख दिये जायेंगे;
(घ) खंड (iv) में, शब्द, कोषक और अक्षर “या खंड (छ) या खंड (ज)” निकाल दिये जायेंगे।
- धारा 138 का संशोधन 21—मूल अधिनियम की धारा 138 में,—
(क) उपधारा (1) में, पहले परंतुक में, —
(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:—
“(क) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से (च), (ज), (झ) और (ठ) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमित होने के लिये अनुज्ञात किया गया था;”
(ii) खंड (ख) निकाल दिया जाएगा;
(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:—
“(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी अपराध को करने का अभियुक्त है;
(iv) खंड (ड) निकाल दिया जाएगा;
(ख) उपधारा (2) में, शब्द “दस हजार रुपये या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत, इनमें

से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपये या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने”, के स्थान पर शब्द “अंतर्वलित कर का पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम राशि के अंतर्वलित कर के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होने” रख दिये जायेंगे।

22—मूल अधिनियम की धारा 158 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्—

नई धारा 158क का
बढ़ाया जाना

“158क (1) धारा 133, 152 और 158 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन और परिषद की सिफारिशों के आधार पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विवरण सामान्य पोर्टल द्वारा ऐसी अन्य प्रणालियों, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, के साथ ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जायं, साझा किया जा सकता है, अर्थात्: —

(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में या धारा 39 या धारा 44 के अधीन दाखिल कृत विवरणी में प्रस्तुत विशिष्टियां;

(ख) बीजक तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां,

धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावकपूर्ति का विवरण और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के निर्माण के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां;

(ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन विवरण साझा करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित की सहमति प्राप्त की जाएगी, —

(क) उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्रस्तुत विवरण के संबंध में पूर्तिकर्ता; और

(ख) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन और उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथाविहित प्रपत्र में और रीति से प्रस्तुत विवरण, केवल जहाँ ऐसे विवरण में प्राप्तकर्ता की पहचान की सूचना सम्मिलित हो, के संबंध में प्राप्तकर्ता।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी देयता के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी और सुसंगत पूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर का भुगतान करने की देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

23—(1) मूल अधिनियम की अनुसूची प् में, पैरा 7 और 8 और उसके स्पष्टीकरण 2 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018 की धारा 31 द्वारा बढ़ाया गया) पहली जुलाई 2017 से उसमें बढ़ाये गये समझे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश माल
और सेवा कर
अधिनियम की
अनुसूची III की
कतिपय गतिविधियों
और संव्यवहारों को
भूतलक्षी प्रभाव से
कर मुक्त करना

(2) एकत्र किये गये ऐसे सम्पूर्ण कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जो इस तरह एकत्रित न किया गया होता, यदि उपधारा (1) समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त होती।

निरसन और
व्यावृत्ति

24—(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 14
सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेंगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 2017), जिसे आगे ("उक्त अधिनियम" कहा गया है), उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवाएं या दोनों की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर कर के उदग्रहण तथा संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 246 क(1) के उपबंधों के अनुसार, संसद और राज्य विधानमंडल, दोनों को माल और सेवा कर अधिरोपित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, वित्त अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 8 सन, 2023) द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन, 2017) में कतिपय संशोधन किए गए, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और इसे 31 मार्च, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

उपर्युक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने के लिए राज्य स्तर पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरंत विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन, 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 में किये जाने वाले ऐसे उपबंधों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अंतर्गस्त हैं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार है :-

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
1(2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को ऐसा दिनांक नियत करने की शक्ति दी जा रही है, जबसे अधिनियम प्रवृत्त होगा और अधिनियम के भिन्न उपबन्ध के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक राज्य सरकार द्वारा नियत किये जा सकेंगे।
5(2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को माल एवं सेवाकर परिषद की संस्तुतियों पर ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गयी है जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है।
6	इसके द्वारा राज्य सरकार को रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण आदेशों के विरुद्ध प्रतिसंहरण हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में समयावधि, रीति तथा शर्तों एवं निर्बंधनों हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गयी है।
7 (परंतुक)	इसके द्वारा राज्य सरकार को माल एवं सेवाकर परिषद की संस्तुतियों पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अथवा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों का विवरण दाखिल करने हेतु अनुज्ञात समयावधि समाप्त होने के पश्चात भी उस कर अवधि के लिये जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात किये जाने की शक्ति प्रदान की गयी है।
8 (परंतुक)	इसके द्वारा राज्य सरकार को माल एवं सेवाकर परिषद की संस्तुतियों पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अथवा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को किसी कर अवधि के लिये कर विवरणी दाखिल करने हेतु अनुज्ञात समयावधि समाप्त होने के पश्चात भी उस कर अवधि के लिये कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात किये जाने की शक्ति प्रदान की गयी है।
9 (परंतुक)	इसके द्वारा राज्य सरकार को माल एवं सेवाकर परिषद की संस्तुतियों पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अथवा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को किसी कर अवधि के लिये वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु अनुज्ञात समयावधि समाप्त होने के पश्चात भी उस कर अवधि के लिये वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात किये जाने की शक्ति प्रदान की गयी है।
10 (परंतुक)	इसके द्वारा राज्य सरकार को माल एवं सेवाकर परिषद की संस्तुतियों पर किसी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक अथवा प्रचालकों के एक वर्ग को उ0प्र0 माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 56(4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने हेतु अनुज्ञात समयावधि समाप्त होने के पश्चात भी उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात किये जाने की शक्ति प्रदान की गयी है।

12	इसके द्वारा राज्य सरकार को विलंब से जारी किये गये रिफंड आदेशों के संबंध में देय ब्याज हेतु विलंब की अवधि की गणना किये जाने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गयी है।
22	इसके द्वारा राज्य सरकार को माल एवं सेवाकर परिषद की संस्तुतियों पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गयी कतिपय सूचनाओं को साझा करने तथा इस संबंध में रीति तथा शर्तों एवं निर्बंधनों हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गयी है।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1042/XC-1014(003)-7-2023
Dated Lucknow, August 17, 2023

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Maal Aur Seva Kar (Sanshodhan) Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 7, 2023.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)
BILL, 2023

A
BILL

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023. Short title and commencement

(2) The provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 10,— Amendment of section 10

(a) in sub-section (2), in clause (d), the words "goods or" shall be *omitted*;

(b) in sub-section (2A), in clause (c), the words "goods or" shall be *omitted*.

Amendment of section 16	<p>3. In section 16 of the principal Act, in sub-section (2),—</p> <p>(i) in the second proviso, <i>for</i> the words "added to his output tax liability, along with interest thereon", the words and figures "paid by him along with interest payable under section 50" shall be <i>substituted</i>;</p> <p>(ii) in the third proviso, <i>after</i> the words "made by him", the words "to the supplier" shall be <i>inserted</i>.</p>
Amendment of section 17	<p>4. In section 17 of the principal Act,—</p> <p>(a) in sub-section (3), in the Explanation, <i>for</i> the words and figure "except those specified in paragraph 5 of the said Schedule", the following shall be <i>substituted</i>, namely:—</p> <p>"except,—</p> <p>(i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and</p> <p>(ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule.";</p> <p>(b) in sub-section (5), <i>after</i> clause (f), the following clause shall be <i>inserted</i>, namely:—</p> <p>"(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or <i>intended</i> to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013;"</p>
Amendment of section 23	<p>5. In section 23 of the principal Act, <i>for</i> sub-section (2), the following sub-section shall be <i>substituted</i> and shall be deemed to have been <i>substituted</i> with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—</p> <p>"(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act."</p>
Amendment of section 30	<p>6. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1),—</p> <p>(a) <i>for</i> the words "the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order:", the words "such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed." shall be <i>substituted</i>;</p> <p>(b) the proviso shall be <i>omitted</i>.</p>
Amendment of section 37	<p>7. In section 37 of the principal Act, <i>after</i> sub-section (4), the following sub-section shall be <i>inserted</i>, namely:—</p> <p>"(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:</p> <p>Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details."</p>
Amendment of section 39	<p>8. In section 39 of the principal Act, <i>after</i> sub-section (10), the following sub-section shall be <i>inserted</i>, namely:—</p> <p>"(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:</p> <p>Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return."</p>

<p>9. Section 44 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and <i>after</i> sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be <i>inserted</i>, namely:—</p>	<p>Amendment of section 44</p>
<p>"(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:</p>	
<p>Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return."</p>	
<p>10. In section 52 of the principal Act, <i>after</i> sub-section (14), the following sub-section shall be <i>inserted</i>, namely:—</p>	<p>Amendment of section 52</p>
<p>"(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:</p>	
<p>Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement."</p>	
<p>11. In section 54 of the principal Act, in sub-section (6), the words "excluding the amount of input tax credit provisionally accepted," shall be <i>omitted</i>.</p>	<p>Amendment of section 54</p>
<p>12. In section 56 of the principal Act, for the words "from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax", the words "for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed" shall be <i>substituted</i>.</p>	<p>Amendment of section 56</p>
<p>13. In section 62 of the principal Act, in sub-section (2),—</p>	<p>Amendment of section 62</p>
<p>(a) <i>for</i> the words "thirty days", the words "sixty days" shall be <i>substituted</i>;</p>	
<p>(b) the following proviso shall be <i>inserted</i>, namely:—</p>	
<p>"Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue."</p>	
<p>14. <i>For</i> section 109 of the principal Act, the following section shall be <i>substituted</i>, namely:—</p>	<p>Amendment of section 109</p>
<p>"109. Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Appellate Tribunal constituted under Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.</p>	
<p>15. Section 110 and 114 of the principal Act shall be <i>omitted</i>.</p>	<p>Omission of sections 110 and 114</p>
<p>16. In section 117 of the principal Act,—</p>	<p>Amendment of section 117</p>
<p>(a) in sub-section (1), <i>for</i> the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be <i>substituted</i>;</p>	
<p>(b) in sub-section (5), in clauses (a) and (b), <i>for</i> the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be <i>substituted</i>.</p>	

Amendment of section 118	17. In section 118 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), <i>for</i> the words "National Bench or Regional Bench", the words "Principal Bench" shall be <i>substituted</i> .
Amendment of section 119	18. In section 119 of the principal Act,— (a) <i>for</i> the words "National or Regional Benches", the words "Principal Bench" shall be <i>substituted</i> ; (b) <i>for</i> the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be <i>substituted</i> .
Amendment of section 122	19. In section 122 of the principal Act, <i>after</i> sub-section (1A), the following sub-section shall be <i>inserted</i> , namely:— "(1B) Any electronic commerce operator who— (i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply; (ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or (iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act, shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher."
Amendment of section 132	20. In section 132 of the principal Act, in sub-section (1),— (a) clauses (g), (j) and (k) shall be <i>omitted</i> ; (b) in clause (l), <i>for</i> the words, brackets and letters "clauses (a) to (k)", the words, brackets and letters "clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)" shall be <i>substituted</i> ; (c) in clause (iii), <i>for</i> the words "any other offence", the words, brackets and letter" an offence specified in clause (b)," shall be <i>substituted</i> ; (d) in clause (iv), the words, brackets and letters "or clause (g) or clause (j)" shall be <i>omitted</i> .
Amendment of section 138	21. In section 138 of the principal Act,— (a) in sub-section (1), in the first proviso,— (i) <i>for</i> clause (a), the following clause shall be <i>substituted</i> , namely:— "(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;" (ii) clause (b) shall be <i>omitted</i> ; (iii) <i>for</i> clause (c), the following clause shall be <i>substituted</i> , namely:— "(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;" (iv) clause (e) shall be <i>omitted</i> ; (b) in sub-section (2), <i>for</i> the words "ten thousand rupees or fifty per cent of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent. of the tax, whichever is higher", the words "twenty-five per cent of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred per cent of the tax involved" shall be <i>substituted</i> .
Insertion of new section 158A	22. <i>After</i> section 158 of the principal Act, the following section shall be <i>inserted</i> , namely:— "158A. (1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:— (a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;

(b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68;

(c) such other details as may be prescribed.

(2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of—

(a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1); and

(b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient, in such form and manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return."

23. (1) In Schedule III to the principal Act, paragraphs 7 and 8 and the Explanation 2 thereof (as inserted vide section 31 of U.P. Act 45 of 2018) shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

Retrospective exemption to certain activities and transactions in Schedule III to the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act

Repeal and saving

24. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

U.P. Ordinance no. 14 of 2023

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the "said Act") has been enacted to make provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

According to the provisions of Article 246 A(1) of the Constitution of India, both the Parliament and the State Legislature have the power to make laws for the imposition of Goods and Services Tax. On the recommendation of GST Council, certain amendments were made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 12 of 2017) vide the Finance Act, 2023 (Act no. 8 of 2023), which was enacted by the Parliament and received the assent of the President on 31st March, 2023.

In view of the above, it was decided to amend the said Act to incorporate the amendments made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 at the State level and to maintain uniformity in the Central Act and the State Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 14 of 2023) was promulgated by the Governor on 24th July, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH
Mukhya Mantri.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.